लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष: 0755-2583650, फैक्स 2583651, ई-मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/समीक्षा बैठक/बी/2018/ 69 भोपाल, दिनांक 26-4-18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–दिनांक 24 मार्च 2018 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण।

विषयांतर्गत आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों की विशेष बैठक दिनांक 24 मार्च 2018 को आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 26-4-2018

पृ0क्रमांक/समन्वय/समीक्षा बैठक/बी/2017/ 76

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3 समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4 वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5 संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
6 वरिष्ठ निज सहायक, अपर मिशन संचालक, आर0एम0एस0ए0मध्यप्रदेश।
7 वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8 समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9 समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

दिनांक 24 मार्च 2018 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारियों की आयोजित विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.03.2018 को प्रातः 10.00 बजे आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संलग्न सूची (परिशिष्ट–1) अनुसार अधिकारी उपस्थित/अनुपस्थित थे।

बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गयेः–

1. मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजनाः–

1.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12 वी की परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्र 85 प्रतिशत और एससी/एसटी 75 प्रतिशत अंक प्राप्त पात्र छात्रों को पुरस्कार हेतु लेपटॉप एवं आवागमन की राशि दी जाती है। इनके समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है, और जिनके शेष है उनकी राशि प्राप्त होते ही उन जिलों को दे दी जायेगी। रिजल्ट निकलते ही आपसे अपेक्षा है कि समस्त पात्र छात्रों के डेटा जैसे छात्रों के बैंक अकाउंट नम्बर आईएफएससी कोड और कॉन्टेक्ट नं. की प्रविष्टि गूगल शीट पर कर दें। जिससे अनावश्यक समय बरबाद होने से बचा जा सके। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य को और बेहतर करने हेतु सुझाव भी मांगे गये।

1.2 यदि रिजल्ट मई में आ जाता है तो इसकी तैयारी 15 जून तक हो जानी चाहिए।

1.3 रिजल्ट आने के पहले अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लें। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो सभी जिला शिक्षा अधिकारी उन बच्चों की पूरी सूची मंगवा लें। यदि कोई नाम छूट गया हो तो उसकी भी जानकारी मंगवा लें। इस पहले से तैयारी करने हेतु निर्देश दिए गये।

2. फीस रेगुलेटिंग एक्टः–

2.1 उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि फीस तथा अन्य विषयों का नियंत्रण संबंधी अधिनियम दिनांक 31 मार्च 2018 को प्रकाशित हो गया है। सामान्यतः 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कमेटी निर्णय लेगी तथा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में नियम बनाने का कार्य चल रहा है। उप सचिव द्वारा विस्तृत जानकारी हेतु प्रकाशित अधिनियम की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

3. मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन, SDMIS

3.1 इस वर्ष नामांकन/मेपिंग, प्रोफाइल अपडेशन और SDMIS की कार्यवाही एक साथ अप्रैल माह में होगी। इस वर्ष प्रत्येक स्कूल के लिए पृथक यूजर आईडी जो कि उसी स्कूल का प्रधान पाठक/प्राचार्य होंगे। यदि किसी शाला में प्रभारी प्राचार्य अथवा प्रधान पाठक है तो उसे एजुकेशन पोर्टल पर Designate किया जाएगा। Designate करने की कार्यवाही पूर्व प्रक्रिया अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन से की जाएगी। वर्तमान में यह कार्यवाही पोर्टल पर प्रारंभ है, अतः यह कार्य शाला प्रारंभ होने से पूर्व किया जाए।

3.2 नवीन मेपिंग बी.आर.सी. द्वारा ही की जाएगी – पूर्व व्यवस्था में नवीन मेपिंग अर्थात कक्षा 1 के बच्चों की मेपिंग ब्लाक स्तर से की जाती थी, जिस पर अपर परियोजना संचालक, आर.एम.एस.ए. द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रथम मेपिंग भी सभी शासकीय/ अशासकीय स्कूलों द्वारा ही की जाएगी। इस संबंध में एन.आई.सी. को लिखा जाए।

3.3 सभी शालाओं को लिखित में निर्देश जारी किये जाए कि अप्रैल माह में सभी छात्रों का नामांकन और प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। इसलिए सभी जानकारियों SDMIS सहित अद्यतन कर ली जाए ताकि पोर्टल पर प्रारंभ होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सके।

3.4 पूर्व में प्राप्त समस्याएंः–

- जैसे अनमेप नहीं होना– इस पर बताया गया कि किसी भी छात्र की प्रोफाइल लॉक होने के उपरांत अनमेप की कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
- कक्षा नहीं बदलना – कई जिलों द्वारा पूर्व में इस बाबत अनुरोध किया जाता है कि कक्षा में त्रुटि हो गयी है। यह स्थिति गंभीर आपत्ति ली गई क्योंकि पिछले 5 वर्ष से छात्रों की जानकारी कक्षावार आ रही है अचानक उसकी कक्षा परिवर्तित होना संदेह को पैदा करता है। अतः इसकी सुविधा दिया जाना उचित नहीं है।
- जिला शिक्षा अधिकारी आगर मालवा द्वारा यह अवगत कराया गया कि कभी कभी प्रवेश के समय तो विद्यार्थी रहता है और कुछ समय पश्चात शाला छोड़ देता है, इसलिए भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। अतः नवीन सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन पर उक्त प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार किया जाएगा।
- समग्र आईडी डिलीट होना– यदि किसी छात्र की समग्र आईडी डिलीट होती है और वह नवीन आईडी स्कूल में प्रदान करता है तो पूर्व की ही आईडी को रिकवर कराया जाए। किसी भी स्थिति में नवीन आईडी को ग्रहण न किया जाए।

3.5 जिन विद्यालयों में कोई भी शिक्षक नहीं है, उनका अपडेशन संकुल प्राचार्य के यूजर (SSDDO) द्वारा किया जाएगा।

3.6 अशासकीय संस्था द्वारा अपने यहां दर्ज बच्चों की मेपिंग/प्रोन्नत करने एवं प्रोफाइल अपडेशन का कार्य एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध यूजर द्वारा ही किया जाएगा।

3.7 भारत शासन द्वारा आधार की जानकारी अनिवार्य रूप से चाही गई है। अतः आधार नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाए और यदि आधार नहीं है तो ई.आई.डी नंबर को दर्ज कराया जाए।

3.8 कक्षा 6 एवं 9 में दर्ज विद्यार्थियों की प्रोफाइल में बसाहट की जानकारी अनिचार्य रूप से ली जाए।

3.9 नामांकन के साथ ही सायकिल की पात्रता जनरेट की जाए ताकि स्कूल प्रारंभ होते ही विद्यार्थियों को सायकिल प्रदाय की जा सके।

3.10 इकलोटी बेची छात्रवृत्ति भी पृथक से स्वीकृत न कराते हुए एक साथ कराने की व्यवस्था बनायी जाए। इसके लिए यदि मंडल से कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो बताएं।

3.11 प्रतिवर्ष की तरह स्कूल विलेज मेपिंग का सत्यापन अप्रैल माह (1–30 अप्रैल तक) के लिए प्रारंभ किया जाए।

3.12 जो विद्यार्थी इस वर्ष रिजल्ड अपडेट होने के बाद किसी भी संस्था में दर्ज नहीं होते है तो उन्हें ड्राप में दिखाया जाए ताकि उनका शाला में दर्ज कराने की कार्यवाही स्कूल चलें हम कार्यक्रम के दौरान की जा सके। यह सूची पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित कराई जाए।

3.13 Report code: S01-S08 & S11 में छात्रवृत्ति की संख्या आती है। इसमें छात्रों की संख्या भी प्रदर्शित की जाए।

3.14 विभाग द्वारा प्रदत्त निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी जैसे सायकिल वितरण, पाठ्यपुस्तक वितरण/गणवेश वितरण की जानकारी हितलाभ देने के उपरांत पोर्टल पर एवं मोबाइल एप पर लिए जाने का प्रावधान कराया जाए और इसी में जानकारी फीड कराई जाए।

4. निःशुल्क सायकिल वितरण योजनाः–

4.1 उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्यतः बाहर के गांव के विद्यार्थी अध्ययनरत करते है। इन विद्यार्थियों को सायकिल प्रदाय करने के संबंध में प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।

4.2 माडल स्कूलों में प्रवेश सामान्यतः दूसरे गांव के विद्यार्थी लेते है ?

4.3 संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी दूसरें गांव से अध्ययन हेतु आते है ?

4.4 संचालनालय के निर्देश क्र./रा.यो./निः साय/स/01/40 दिनांक 21.02.2018 द्वारा जारी निर्देश की कंडिका 2.3 ''**ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं, जिनके माध्यमिक शाला/हाईस्कूल छात्रावास से 02 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है**'' को सायकिल प्रदाय हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जाना है।

4.5 जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया द्वारा अवगत कराया गया कि निपनिया गांव में भूमि की उपलब्धता नही होने से उसी गांव के स्कूल का निर्माण अन्य गांव में किया गया है, जो उस गांव 03 किलामीटर की दूरी पर है। आयुक्त महोदय द्वारा ऐसे प्रकरणों में समग्र डाटाबेस में विद्यार्थियों का रिकार्ड ठीक कर को सायकिल प्रदाय कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

4.6 प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिये गये कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एकाउंटेंट/आडिटर विद्यालयों में वितरित की गई सायकिल का रजिस्टर में संधारित रिकार्ड से मैच करायेंगे कि वितरित सायकिल का रिकार्ड ठीक से संधारित किय गया है, चेसिस नंबर की प्रविष्टि सही की गई है अथवा नहीं।

5. निर्माण कार्यो की समीक्षा –

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में 582 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 8 हाईस्कूल, cwsn छात्रावास– 9 स्थानों पर 50 सीटर बालक, 50 सीटर बालिका हेतु 6 नवीन 200 सीटर बालिका छात्रावास(झाबुआ, खंडवा (हरसूद), शहडोल,छतरपुर, उज्जैन, छिंदवाडा), इसके अतिरिक्त गतवर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1016 स्कूलों के भवन स्वीकृत कियो गए है। इन सभी शालाओं के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाना है। भूमि चिन्हांकन सतर्कता से करें। इसके लिए निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

शाला भवन हेतु –

- माध्यमिक शाला कैम्पस में उपलब्ध भूमि पर ही निर्मित किया जायेगा।
- यदि माध्यमिक शाला के कैम्पस में भूमि की उपलब्धता कम हो तो डिजाइन को कस्टमाइज करने हेतु प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा जायेगा।
- अपरिहार्य परिस्थिति में यदि माध्यमिक शाला के कैम्पस में भूमि उपलब्ध न हो तो
    - वर्तमान माध्यमिक शाला से हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि किसी भी स्थिति में आबादी से हटकर न हो
    - चिन्हांकित भूमि के ऊपर से हाईटेंशन लाईन न जा रही हो
    - चिन्हांकित भूमि से विद्युत पोल भी निकट ही उपलब्ध हो
- किसी भी स्थिति में जिस ग्राम में वर्तमान में स्कूल संचालित है उस गाम से हटकर अन्य ग्राम में भवन निर्मित नहीं किया जायेगा।
- हायर सेकेण्डरी के लिए स्वीकृत भवनों में कई स्थानों पर पूर्व से हाईस्कूल भवन (56 लाख अथवा 34 लाख अथवा 88 लाख अथवा सुदृढीकरण के तहत कक्ष) निर्मित हैं। जिन स्थानों पर पूर्व से यह व्यवस्था है वहॉ निर्मित भवन/कक्षों के स्थल पर ही extension किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अन्य स्थान पर हायर सेकेण्डरी भवन नहीं बनाया जायेगा।

छात्रावास भवन

- प्रत्येक स्थिति में शाला के कैम्पस में ही भूमि का चिन्हांकन कर निर्मित किया जायेगा।
- यदि कैम्पस में किसी भी तरह की भूमि उपलब्ध न हो तो निकटस्थ स्कूल के कैम्पस में भूमि का चिन्हांकन किया जा सकता है।
- यदि उत्कृष्ट विद्यालय के लिए छात्रावास भवन हेतु भूमि का चिन्हांकन उत्कृष्ट से हटकर किसी अन्य स्थल/अन्य स्कूल केम्पस में किया जाता है तो उसकी अनुमति राज्य स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- किसी भी छात्रावास भवन के लिए यदि भूमि का चिन्हांकन स्कूल केम्पस से हटकर किया जाता है तो उसकी अनुमति राज्य कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। तभी छात्रावास निर्मित किया जा सकेगा।
- चिन्हांकित भूमि के ऊपर से हाईटेंशन लाईन न जा रही हो ।
- चिन्हांकित भूमि से विद्युत पोल भी निकट ही उपलब्ध हो ।

समय पर उचित भूमि का चिन्हांकन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, उल्लेखनीय है कि समय पर भूमि की उपलब्धता न होने पर लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे शासन पर अतिरिक्त भार आता है। समय पर उचित भूमि का चिन्हांकन कर अवगत करायें।

6. उत्कृष्ठ विद्यालयः–

6.1 उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा जो कि 4 मार्च को आयोजित की गई थी, का परीक्षा परिणाम 21 मार्च को घोषित हो चुका है तथा इन विद्यालयों में 02 अप्रैल को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से अवगत कराते हुये बच्चों के प्रवेश कराये जाने हेतु अवगत कराया गया। दमोह जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अभी तक 03 विद्याार्थियों के प्रवेश लिये जाने की जानकारी दी गई। सभी को अधिकाधिक प्रवेश हेतु निर्देशित किया गया।

6.2 उत्कृष्ट विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चें प्रवेश लें इसका प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता है, अतः सभी बच्चों तक यह सूचना पहुॅचाने की कोशिश की जावें।

6.3 विद्यालयों के बिजली के बिलों के देयकों के भुगतान हेतु 2.40 करोड़ पूर्व में ग्लोबल भर में उपलब्ध है एवं इसी मद में 4 करोड़ की राशि और उपलब्ध कराने से समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुये जिलें के विद्यालयों में लंबित बिजली के बिलों के भुगतान हेतु बिलों को ट्रेजरी में लगाकर राशि को आहरित कर ली जावें। संयुक्त संचालक इस कार्य की समीक्षा करें। यह राशि ग्लोबल बजट में उपलब्ध है।

6.4 जिला शिक्षा अधिकारी धार के द्वारा अवगत कराया गयाा कि कार्यालय नगरीय निकाय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, म0प्र0 के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, उक्त पत्र के अनुसार जिलें के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के

बिजली एवं पानी का बिल शिक्षा उपकर से जमा किया जावेगा। उक्त पत्र को जिलें के समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राचार्यो को जारी किये गये है, से अवगत कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को नगरीय निकाय विभाग के उक्त पत्र को संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जिससे कि यह पत्र सभी जिलों को सरकुलेट किया जा सकें।

7:– एक परिसर एक शालाः–

7.1 स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत एक परिसर में स्थित विभिन्न शालाओं का एकीकरण कियाजाना प्रस्तावित है ताकि उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधानों का अधिकतम उपयोग करते हुये कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकें तथा विद्यायर्थियों के सर्वागीण विकास को दृष्टिगत रखते हुये पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सकें। इस व्यवस्था में एक ही परिसर में स्थित विभिन्न शालाओं का एकीकरण किया जाकर उन्हें एक ही डाईस कोड आवंटित किया जायेगा।

7.2 एक परिसर में प्रदेश में संचालित 45384 स्कूलों को एकीकृत करने पर कुल एकीकृत स्कूलों की संख्या 20656 होगी। उपरोक्त एकीकृत स्कूलों में 15342 स्कूलों प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों एकीकरण होगा जो कि कुल एकीकृत स्कूलों का 74. 03 प्रतिशत है। इसी तरह प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के कुल 1868 एकीकृत स्कूल होंगे जो कि कुल एकीकृत स्कूलों का 9 प्रतिशत है। पहली से लेकर बारहवीं तक के कुल 934 एकीकृत स्कूल होंगे।

7.3 एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण उपरान्त एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जायेगा। समान स्तर की शालाओं में अधिक नामांकन वाली शाला को मुख्य शाला के रूप में नामांकित किया जायेगा।

7.5 एक परिसर में स्थित समस्त विद्यालयों का शैक्षणिक एवं अन्य अमला एकीकृत विद्यालय के अमले के रूप में माना जायेगा तथा वर्तमान में उक्त विद्यालयों में कार्यरत अमला यथावत कार्य करता रहेगा एवं एकीकृत शाला के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। एकीकृत विद्यालय में समस्त कक्षाओं हेतु एक समेकित समय सारिणी बनेगी तथा उसके आधार पर ही पठ्न पाठ्न की कार्यवाही की जायेगी। एकीकृत विद्यालय के प्राचार्य को योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कालखण्ड आवंटन का अधिकार होगा।

7.6 एकीकृत शाला में एक संयुक्त/एकीकृत शाला प्रबंध परिषद् का गठन किया जाएगा। इस परिषद् की एक साधारण सभा होगी तथा एक कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी। यह साधारण सभा तीन माह में एक बार बैठक करेगी तथा विद्यालय के संचालन से संबंधित समस्त नीतिगत निर्णय साधारण सभा के द्वारा किये जायेंगे। साधारण सभा की बैठक आयोजन करने का दायित्व वरिष्ठ शाला के

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का होगा, और वह साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति के सचिव के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

7.7 एक ही परिसर में संचालित स्कूलों के एकीकरण के उपरान्त मुख्य शाला का बैंक खाता संचालित किया जाएगा तथा शेष विलय की गई शाला के खाते बंद किये जाकर उनमें वर्तमान में उपलब्ध राशि को एकीकृत शाला के मुख्य खाते में अंतरित किया जाएगा।

7.8 एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित की जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, प्राचार्य डाईट एवं जिला परियोजना समन्वयक सम्मिलित होंगे। समिति के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। उपरोक्त समिति इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करेंगी, तथा क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर निर्णय लेगी यदि कोई नीतिगत प्रश्न उद्भूत होता है तो अपने अभिमत सहित प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित करेगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकेगा।

8. नवीन सत्र की तैयारियाः–

8.1 आयुक्त महोदय ने बताया कि आगामी शैक्षिणिक सत्र 2 अप्रैल से प्रारंभ होना है। इसके लिए आप लोगों को दो माह पहले निर्देश मिल गये थे। इसके लिये आप लोगो को कुछ रूपरेखा बनानी होगी।

8.2 संयुक्त संचालक विद्या द्वारा बताया कि छात्रों के नामांकन के आधार पर ही शासन की लोक कल्याण कारी योजनाए बनती है। ये बच्चों की संख्या पर निर्भर करती हैं। बच्चों की गिनती करते करते 15 सितंबर से उपर हो जाता है। इस कारण से इस वर्ष से सत्र 02 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। चूंकि 01 अप्रैल रविवार है इस कारण से सत्र 02 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः 01 से 15 अप्रैल के दौरान नामांकन का काम पूरा हो जाना चाहिए। शासन का आदेश है कि कक्षा 11वी में प्रवेश के लिये प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम को आधार बनाया जाए।

8.3 शिक्षक पुरस्कार का ऑनलाइन मॉडयूल बनाया गया है उसमें हर जिलों से जानकारी आनी चाहिए थी और अभी तक पूरे प्रदेश से मात्र 09 एन्ट्री ऐसी है जो पूर्ण है। बाकी प्रस्ताव अपूर्ण हैं। आपके जिले के प्रस्ताव आप स्वयं भी भेज सकते है। अच्छे शिक्षकों का नामांकन आप स्वयं भी कर सकते हैं।

8.4 प्राइवेट स्कूलों के समान शासकीय विद्यालयों में भी काउंसलर दिये जाएगे। कांउसलर हेतु ऐसे शिक्षकों को चिन्हांकित करेगें जिनको बच्चे पसंद करते हैं एवं जो बच्चों के लिए आदर्श हों।

8.5 माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिये कि विद्यालयों में अब यस सर के स्थान पर जय हिंद बोला जाए। इसके लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और मिलिट्री के जो व्यक्ति आपके स्कूल के आसपास हैं उसका फोटो विद्यालय में लगावें। इससे देशभक्ति का जज्वा नौजवानों में पैदा होगा। अब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा मिलिट्री, सीआरपीएफ के जवान से ही

फहरवायेगें। अपने गॉव या अपने गॉव के आस पास के मिलिट्री वालो को अपने स्कूल बुलाए और उनके अनुभव सुने। खण्डवा जिले में 04 अप्रैल से 08 अप्रैल तक जो बच्चे आएगे उनके लिये स्कूल में पीने का पानी, चाय की व्यवस्था कमरे पंखे की व्यवस्था की जाएगी।

9. ई–सर्विस बुक अपडेशनः–

9.1 पोर्टल पर ई–सेवापुस्तिका के अपडेशन के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रशंसा की गई है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ई–सेवापुस्तिका के संबंध में संबंधित आवेदकों के द्वारा अपनी ई–सेवापुस्तिका में आवश्यक पृविष्टियॉ के लिए ऑनलाईन आवेदन किये गये है उनके सत्यापन की कार्रवाई संबंधित संकुल/जिला स्तर पर लंबित है। इस सत्यापन की कार्रवाई को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। अध्यापक संवर्ग के ऑनलाईन अन्तर्निकाय संविलियन के दौरान आवेदकों की ई–सेवापुस्तिका में सही–सही पृविष्टियॉ नही होने के कारण शासकीय कार्यो अनेक प्रकार की कठिनाई हो रही है। वर्तमान में ई–सेवापुस्तिका के अपडेशन के लिए सत्यापन एवं आवेदकों को अपनी सही पृविष्टियॉ के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

9.2 ई–सेवापुस्तिका के अपडेशन की कार्रवाई निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण की जाना है। द्वितीय चरण में युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की जाना है। युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई एवं अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय संविलियन में संबंधितों की ई–सेवापुस्तिका में पूर्ण जानकारी नही होने के कारण उल्लेखित कार्रवाई बाधित हो रही है। ई–सेवापुस्तिका में संबंधितों की पूर्ण जानकारी आवश्यक है अन्यथा पोर्टल से की गई ऑनलाईन कार्रवाई सही नही हो पायेगी।

9.3 ई–सेवापुस्तिका में संबंधित की प्रथम नियुक्ति दिनांक, निःशक्त कोटे में नियुक्ति, विवाहित की जानकारी, कार्यरत संस्था ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र उनकी निकाय का नाम, गम्भीर बीमारी, आदिवासी एवं गैर आदिवासी क्षेत्र की स्थिति, पुरुष एवं महिला, मूल पद एवं विषय इत्यादि की जानकारी ई–सेवापुस्तिका में पृविष्टि होना आवश्यक है।

10. युक्तियुक्तकरण की समीक्षा :–

10.1 युक्तियुक्तकरण के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि यदि आपके द्वारा ऑनलाईन आवंटन शाला का आदेश रोकने का स्पष्ट कारण बताया जाये तथा प्रत्येक प्रकरण की जानकारी तैयार करके रखी जाये। ताकि प्रकरणों की समीक्षा में प्रत्येक प्रकरणों की जानकारी ली जा सकें।

11 अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय संविलियन :–

11.1 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के द्वारा ऑनलाईन अन्तर्निकाय संविलियन हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदनों की त्रुटि सुधार का एक अवसर दिया गया है। सभी प्रकार की त्रुटियों का निराकरण का ध्यान रखा जाये।

12:– अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test)

12.1 शिक्षकों के लिए सूचना :

1. गूगल प्ले स्टोर में mpcareermitra मोबाईल एप्प डाउनलोड करने के उपरांत इंस्टाल करें।
2. स्कूल के डाईस कोड तथा रमसा विमर्श पोर्टल से पाप्त पासवर्ड से लॉग-इन करें। लॉग-इन पासवर्ड को शिक्षकों के अलावा अन्य किसी को नहीं बताया जाये।
3. क्षमता परीक्षण (Aptitude Test) 4 क्षेत्रों में क्षमताओं को मापने का एक साईकोमेट्रिक परीक्षण है जिसका निर्धारित क्रम निम्नानुसार है –
   1.भाषिक क्षमता 2.तार्किक क्षमता 3.अवकाशीय क्षमता 4.सांख्यिकीय क्षमता
4. प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय सीमा निम्नानुसार हैं:-
   भाषिक क्षमता- 15 मिनट तार्किक क्षमता- 20 मिनट अवकाशीय क्षमता- 20 मिनट सांख्यिकीय क्षमता - 20 मिनट विद्यार्थियों को बताएं की वे उक्त समयसीमा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करे।
5. समयसीमा के दौरान विद्यार्थी एक ही भाग पर काम कर सकते हैं। यदि समय से पहले विद्यार्थी दिये गए भाग को पूरा करते हैं, तो Submit बटन पर क्लिक करने के बाद वो अगले भाग में जा सकते है।
6. प्रश्नों को हल करने के लिए रफ कार्य हेतु कोरे कागज की शीट दी जाए।
7. परीक्षण के दौरान केलकुलेटर और मोबाइल फोन का प्रयोग करना मना हैं।

12.2 विद्यार्थियों के लिए सूचना :

1. इस परीक्षण के आधार पर किसी भी प्रकार की पास/फेल वाला रिजल्ट नहीं आयेगा। इस परीक्षण में आने वाले प्रश्नों को इस प्रकार तैयार किया

गया है कि प्रश्नों के सही/गलत उत्तर से विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि उच्च अध्ययन हेतु आपको किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए।

2. प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय सीमा हैं,
   भाषिक क्षमता- 15 मिनट तार्किक क्षमता- 20 मिनट अवकाशीय क्षमता - 20 मिनट सांख्यिकीय क्षमता - 20 मिनट विद्यार्थियों उक्त समयसीमा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करे।
3. विद्यार्थी किसी एक भाग पर कार्य करने के दौरान अपना उत्तर बदल सकते है, लेकिन **Submit** करने के पश्चात उत्तर बदलने का कार्य नही कर सकेंगे

12.3 अभिरुचि परीक्षण (Interest Test) तथा क्षमता परीक्षण (Aptitude Test**) में प्रमुख अंतर-**

क्र.	**बिन्दु**	**अभिरुचि परीक्षण (Interest Test)**	**क्षमता परीक्षण (**Aptitude Test**)**
1	प्रश्नों की संख्या	7 क्षेत्र X 20 प्रश्न =140 प्रश्न	4 क्षेत्र X 15 प्रश्न = 60 प्रश्न
2	अधिकतम समयसीमा	कोई समयसीमा निर्धारित नही है। किन्तु विद्यार्थी द्वारा औसतन 10-15 मिनट में टेस्ट दिया गया।	क्षेत्र -1 - 15 मिनट; क्षेत्र - 2 - 20 मिनट क्षेत्र -3 - 20 मिनट; क्षेत्र - 4 - 20 मिनट **कुल अधिकतम समय - 75 मिनट**
3	प्रश्नों का स्वरूप	रूचि पर आधारित	ज्ञान एवं समझ (Knowledge/ Understanding) पर आधारित
4	पासवर्ड	रमसा(विमर्श) पोर्टल से	रमसा(विमर्श) पोर्टल से
5	प्रति छात्र मोबाईल की संख्या	प्रति मोबाईल लगभग 8-10 छात्र	प्रति मोबाईल लगभग 8-10 छात्र

13 सी.एम.हेल्पलाईनः–

13.1 सी.एम.हेल्पलाईन के समेकित छात्रवृत्ति योजनाअंतर्गत कक्षा 01 से 12 तक शिक्षनार्थियों के लिए छात्रवृत्ति न मिलने संबंधी संख्या 333(08 प्रतिशत), शिक्षकों के वेतन/ अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी संख्या 778 (18 प्रतिशत), कक्षा 09 के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल/ राशि प्राप्त न होने संबंधी संख्या 60 (01 प्रतिशत) एवं एल–4 स्तर पर 100 से अधिक लंबित प्रकरणों, एवं सी एवं डी ग्रेड वाले जिलों को निराकरण समय–सीमा में दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए।

अंतः में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

26/4/18

(अंजू [illegible])
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–1

1.1 संभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

स.क्र.	अधिकारी का नाम	संभाग	रिमार्क
1.	श्री अरविंद सिंह,	ग्वालियर	
2.	श्री जे. के. शर्मा	इंदौर	
3.	श्री बलवंत वर्मा	भोपाल	
4.	श्री एस. के. त्रिपाठी	नर्मदापुरम	
5.	श्री आर. एन. शुक्ला	सागर	
6.	श्री सहदेव सिंह मरावी	शहडोल	
7.	श्री संजय गोयल, प्रभारी	उज्जैन	
8.	श्रीमती कामायनी कश्यप, प्रभारी	जबलपुर	
9.	श्री टी.पी. सिंह, सहायक संचालक	रीवा	

1.2 जिला शिक्षा अधिकारी

स.क्र.	अधिकारी का नाम	जिला	रिमार्क से
1.	श्री आर. एन. नीखरा	ग्वालियर	
2.	श्री आर. जे. सत्यार्थी	मुरैना	
3.	श्री बी. एस. सिकरवार	भिंड	
4.	श्री अजय कटियार	श्योपुर	
5.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	गुना	
6.	श्री अनिल तिवारी	दतिया	
7.	श्री परमजीत सिंह	शिवपुरी	
8.	श्री आदित्य नारायण मिश्र	अशोकनगर	
9.	श्री राजेश सूर्यवंशी	देवास	
10.	श्री अमर वरधानी	रतलाम	
11.	श्री के. एस. राजपूत	शाजापुर	
12.	श्री आर. एल. कारपेंटर	मंदसौर	
13.	श्री के. सी. शर्मा	नीमच	
14.	श्री संजय गोयल	उज्जैन	
15.	श्री एस. के. मिश्रा	आगर मालवा	
16.	श्री नरेन्द्र जैन	इंदौर	
17.	श्री अनिल वर्मा	धार	
18.	श्री एम. एस. सोलंकी	झाबुआ	

19.	श्री नरेन्द्र भिड़े	अलीराजपुर	
20.	श्री के. के. डोंगरे	खरगौन	
21.	श्री सी.एस. टैगोर	बड़वानी	
22.	श्री पी. एस. सोलंकी	खंडवा	
23.	श्री आर. एल. उपाध्याय	बुरहानपुर	
24.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	भोपाल	
25.	श्री एस. पी. त्रिपाठी	सीहोर	
26.	श्री आर. पी. सेन	रायसेन	
27.	श्री जयश्री पिल्लई	राजगढ़	
28.	श्री एच. एन. नेमा	विदिशा	
29.	श्री अनिल वैद्य	होशंगाबाद	
30.	श्री जे. एल. रघुवंशी	हरदा	
31.	श्री बी. एस. बिसोरिया	बैतूल	
32.	श्री एस. के. शर्मा	सागर	
33.	श्री पी. पी. सिंह	दमोह	
34	श्री के. एस. कुशवाह	पन्ना	
35	श्री जे. एस. बरकड़े	छतरपुर	
36	श्री अजब सिंह ठाकुर	टीकमगढ़	
37	श्री एम. के. चौकसे	जबलपुर	
38	श्री सच्चिदानंद पाण्डेय	कटनी	
39	श्री जे. के. मेहर	नरसिंहपुर	
40	श्री रवि सिंह बघेल	छिंदवाड़ा	
41	श्री एस. पी. लाल	सिवनी	
42	श्री उदयभान पटेल	मंडला	
43	श्री जे. एस. मरकाम, प्राचार्य	डिंडोरी	
44	श्रीमती निर्मला पटले	बालाघाट	
45	श्री पी. एल. मिश्रा	रीवा	
46	श्री बी. एस. देशलहरा	सतना	
47	श्री पी. एन. शुक्ल	सीधी	
48	श्री आर. पी. पाण्डेय	सिंगरौली	
49	श्री उमेश कुमार धुर्वे	शहडोल	
50	श्री रणमत सिंह	उमरिया	

2. संभाग/जिलों से अनुपस्थित अधिकारियों की सूची

स.क्र.	अधिकारी का नाम	जिला
1	श्री यू. के. बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी	अनूपपुर